



जिल्हा परिषद रत्नागिरी

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन.

माळनाका रत्नागिरी ४१५६१२

सामान्य प्रशासन विभाग



दूरध्वनी क्र.: ०२३५२/२२४२८

ईमेल आय डी :- dyceogad08@gmail.com

जा.क्र. रजिप/साप्रवि/लेखा-२/वैद्यकीय देयक/ ५४०२ /२०२३

दिनांक :- १२/१०/२०२३

- वाचा-**
- महा. शास.सर्व. आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्र.एमएजी-२००५/ प्रक्र - १/आरोग्य - ३, दि.१९ मार्च,२००५.
 - महा. शास.सर्व आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०११/प्रक्र-३३३/११/ राकावि-२, दि.१६ नोव्हें २०११.
 - महा. शास.,सर्व. आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्र.वैखप्र - २०१६/प्रक्र- १६/२०१६/राकावि-२,दि.१६ मार्च १६.
 - सामान्य प्रशासन विभागाकडील अधिकार प्रदान मंजूर टिप्पणी दिनांक २४.०२.२०२३.
 - महा. शास.,ग्रा.वि. विभाग, शासन निर्णय क्रमांक वैप्रवि-६२१८/प्र.क्र.१३४/आस्था- ७/दिनांक २४ मे २०१८.
 - महा.शासन. सर्व.आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक वैखप्र-२२/प्र.क्र.३५/राकावी-२, दिनांक १९ जुलै,२०२२.
 - महा. शासन, सर्व. आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१२०/राकावी-२/ दि.१७ जानेवारी २०२३.


आदेश

उपरोक्त संदर्भाय पत्र क्रमांक ४ अन्वये मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांनी केलेल्या अधिकार प्रदानानुसार उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि), जिल्हा परिषद रत्नागिरी या शाखेतील श्री/श्रीमती अनुष्का अभिजीत साळुंखे पदनाम वरिष्ठ सहाय्यक यांनी त्यांचे स्वतःचे जावरपणावर शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक एमएजी-२००५/९/प्रक्र-१/आरोग्य-३,दिनांक १९.३.२००५ मध्ये नमूद केलेल्या भाग २ मधील क्रमांक ०५ या आजारासंबंधी डॉ.मनोज मणचेकर, लोटलीकर हॉस्पिटल, रत्नागिरी या शासकीय/ शासनमान्य/ खाजगी रुग्णालयात बाह्य/आंतररुग्ण म्हणून दिनांक ०३.०३.२०२३ ते दिनांक ०३.०३.२०२३ पर्यंत करण्यात आलेल्या उपचारा वरील झालेल्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीस खालील तपशिलाप्रमाणे मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे.

| अ.क्र. | तपशील | एकूण खर्च | | |
|--------|---|--------------------------------|----------------|-----------|
| (१) | (२) | (३) | | |
| १. | एकूण खर्च | २६८२८/- | | |
| २. | ना- देय खर्च (सुट व औषध) | ४५१/- | | |
| ३. | प्रत्यक्ष खर्च (१-२) | २६३७७/- | | |
| ४. | प्रत्यक्ष खर्चापैकी वास्तव्याचा खर्च (Bed Charges) | १०००/- | | |
| ५. | प्रत्यक्ष खर्चापैकी औषधोपचाराचा खर्च (३-४) | २५३७७/- | | |
| ६. | औषधोपचारासाठी अनुज्ञेय खर्चाचे प्रमाण इ.(औषधोपचारावरील प्रत्यक्ष खर्चापैकी प्रतिपूर्तीचे प्रमाण ९०%)(शासनमान्य रुग्णालयातील खर्चाची १००% प्रतिपूर्ती) | २२८३९/- | | |
| ७. | रुग्णालयात वास्तव्याचे दिवस | १ | | |
| ८. | वास्तव्यासाठी केलेला खर्च | १०००/- | | |
| ९. | रुग्णालयातील वास्तव्यासाठी अनुज्ञेय खर्चाचे प्रमाण - | ९५% | | |
| अ.क्र. | वास्तव्याचा प्रकार | प्रत्यक्ष खर्च | अनुज्ञेय रक्कम | देय रक्कम |
| क) | जनरल वॉर्ड (सर्वसामान्य कक्ष) | १०००/- | ९५% | ९५०/- |
| ख) | जनरल वॉर्डच्या (सर्वसामान्य कक्षाच्या) बाजूचा बाथरूम नसलेला कक्ष | | ९०% | - |
| ग) | बाथरूमसह स्वतंत्र कक्ष | | ७५% | - |
| घ) | बाथरूमसह डबलबेड कक्ष | | ७५% | - |
| च) | बाथरूमसह वातानुकूलित कक्ष (विमान प्रवास सवलत अनुज्ञेय असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी) | | ७५% | - |
| छ) | अतिदक्षता कक्ष | | १००% | - |
| | | वास्तव्यापोटी एकूण देय रक्कम = | | ९५०/- |
| १०. | एकूण देय खर्च (६ + ९) | | | २३७८९/- |

उपरोक्त खर्च रक्कम रुपये २३,७८९/- (अक्षरी रक्कम रु.तेवीस हजार सातशे एकोणनव्वद मात्र) तसेच सदर कर्मचाऱ्याचे वेतन ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्च पडते त्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच सदरचा खर्च हा सन २०२३/२०२४ या वित्तीय वर्षातील तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

सदरचा आदेश रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या <https://www.zpratnagiri.org> या संकेत स्थळावर उपलब्ध करणेत आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३१०१३९१९९ असा आहे.


(परिक्षेत्र यादव)

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि)
जिल्हा परिषद रत्नागिरी

प्रत:- १) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि), जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांना माहितीसाठी.

प्रत:- २) श्रीम.अनुष्का अभिजीत साळुंखे, वरिष्ठ सहाय्यक यांना कार्यालयामार्फत.